an>

Title: Need to provide adequate compensation to people whose thatched huts were destroyed in fire in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan.

कर्नल सोनाराम चौधरी **(बाड़मेर):** उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर-जैसलमेर (राजस्थान) लोक सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 56,779 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 32,73,660 है, जिसमें 19 पंचायत समितियों में 581 ग्राम पंचायतों के 3298 राजस्व ग्राम हैं। क्षेत्र की 70 प्रतिशत जनसंख्या दूर-दूर बसी ढाणियों में निवास करती है। यहां जीवन-यापन करने का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन होने के कारण परम्परागत तौर पर कृषक एवं पशुपालकों का निवास परिवार एवं मवेशियों सहित अपने-अपने खेतों में ही ढाणियों में रखा जाता है। ये ढाणियां पूर्णतया घास-फूस एवं लकड़ियों से बनी होती हैं। क्षेत्र में आये दिन ढाणियों में आग लगने एवं आगजनी से जान-माल की हानि होने की खबरें समाचार पत्रों, कार्यकर्ताओं एवं आम अवाम की जन-सुनवाई में सामने आती रहती हैं और जनता एवं पीड़ितों द्वारा मुआवजे की मांग की जाती रहती है। मैं यहां ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय किसान या मजदूर, जो विकट मरुस्थलीय भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों की कमी, शिक्षा के अभाव एवं पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण एवं परम्परागत रीति-नीति के कारण ढाणियों में रहने को मजबूर हैं। बैंकिंग एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से कोसों दूर इस क्षेत्र के निवासियों की जिन्दगी भर की कमाई इन झोंपड़ीनुमा ढाणियों में ही होती है। प्राकृतिक आपदाओं, अपरिहार्य कारणों एवं गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूरज के आग उगलने से इन ढाणियों में अक्सर आगजनी की घटनाएं होती हैं। पानी की भयंकर कमी, दूरस्थ, आवागमनों के साधनों की कमी एवं सड़कों के अभाव में अग्निशमन यंत्रों का यहां तक पहुंचना असम्भव होने के कारण सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इस प्रकार मेरे क्षेत्र में ढाणियों में पिछले कुछ वर्षों में आग लगने की घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	2009	2010	2011	2012	2013	2014
प्रकरण	219	642	635	632	690	443
अनुमानित नुकसान (लाखों में)	13.66	46.05	32.13	65.20	70.61	25.03

उक्त आंकड़े तो मात्र बाड़मेर जिले के हैं। जैसलमेर में भी यही हालात हैं। केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत राशि सहायता के रूप में राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा राहत कोष के माध्यम से दी जाने वाली सहायता में दिसम्बर, 2012 में संशोधन किया गया है, जिसमें नुकसान होने की स्थिति में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण इस प्रकार है:

	पक्का मकान	कच्चा मकान	भोजन एवं बर्तनों हेतु	दुधारू पशुओं के	मानव
दिसम्बर 2012 से पूर्व	25,000	10,000	2,000	गाय भैंस ऊंट-10,000 भेड़-बकरी 1,000	एक लाख
दिसम्बर 2012 के बाद	70,000	17,600	2,800	गाय भैंस ऊंट-10,000 भेड़-बकरी 1,650	डेढ़ लाख

उक्त राशि हताहत परिवारों के नुकसान की तुलना में पांच प्रतिशत भी नहीं है, जिस परिवार का सब कुछ नष्ट हो जाता है, वह सरकार की सहायता का मोहताज हो जाता है, जिसे तत्काल सहायता की नितान्त आवश्यकता होती है, इसलिए जिला कलैक्टर के पास पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान कर तत्काल सहायता प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए तथा सहायता राशि को बढ़ाकर कम से कम दो गुना करने का प्रावधान करना चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, only the approved text of the matter will go on record.